



वित्त मंत्रालय

# सुगमता से व्यापार के लिए कई उपायों की घोषणा

Posted On: 01 FEB 2017 12:20PM by PIB Delhi

व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने कि सरकार की नीति के तहत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने लोक सभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कई अन्य उपायों की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनने वाले व्यावसायिक उद्यमियों की लेखा-परीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा एक करोड़ रु. से बढ़ाकर दो करोड़ रु. करने का प्रस्ताव किया। इसी प्रकार विशिष्ट और हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए बहियों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा 10 लाख रु. टर्नओवर से बढ़ाकर 25 लाख अथवा आय को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करना प्रस्तावित किया।

श्री जेटली ने श्रेणी-I एवं श्रेणी-II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी पेश किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में कर-प्रभार्य निवेश के शोधन या बिक्री के परिणामस्वरूप या इससे उत्पन्न आय भारत से बाहर शेरों के शोधन या ब्याज के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।

व्यक्तिगत बीमा एजेंटों को राहत देने के मकसद से श्री जेटली ने उन्हें टीडीएस की कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी पेश किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमा एजेंटों को स्व घोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है। अब तक, व्यक्तिगत बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जाती है।

\*\*\*

वि.लक्ष्मीट/सुविधा/जितेन्द्र/अमित//मनीषा/रंजन/प्रवीन/इन्द्र पाल/सुनील/राजीव/सागर/महेश/हरेन्द्र /गीता/लोकेश-28

(Release ID: 1485322) Visitor Counter : 18

